

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग2, खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 51/2023-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. (अ) - केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और केंद्रीय माल और सेवाकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 को अधिकांत करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 अक्तूबर, 2023 को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर होने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् “आवेदक” कहा गया है) सिवाय-

- (i) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति;
- (ii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है;
- (iii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है;
- (iv) कोई व्यक्ति, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं को प्रदाय कर रहा है या कोई व्यक्ति, जो धारा 14क में निर्दिष्ट व्यक्ति को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग प्रदाय कर रहा है,

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से अपने स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में घोषणा करेगा :

परंतु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इनपुट सेवा वितरक है ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा।”

3. उक्त नियमों के नियम 14 में, --

(i) शीर्ष में "पूर्ति करने वाले" शब्दों के पश्चात् "या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1) में, " पूर्ति करने वाला" शब्दों के पश्चात् "या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाला" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियमों में नियम 31क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"31ख. आनलाइन गेमिंग, जिसके अंतर्गत आनलाइनमनी गेमिंग सम्मिलित है, की दशा में पूर्ति का मूल्य—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आनलाइन गेमिंग की पूर्ति का मूल्य, जिसके अंतर्गत आनलाइन मनी गेमिंग में अंतर्वलित अनुयोज्य दावों की पूर्ति सम्मिलित है, धन या धन का मूल्य, जिसके अंतर्गत वर्चुअल डिजीटल आस्तियां सम्मिलित हैं, के माध्यम से प्लेयर द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को कुल संदत्त रकम या संदेय या पूर्तिकार के पास जमा कुल रकम होगी :

परंतु पूर्तिकार द्वारा प्लेयर को चाहे किसी भी कारण से, जिसके अंतर्गत प्लेयर द्वारा पूर्तिकार को संदत्त रकम या पूर्तिकार के पास जमा रकम का किसी घटना में भाग लेने के लिए उपयोग न करना सम्मिलित है, वापस की गई कोई रकम की आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी ।

31ग. कैसिनो की दशा में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कैसिनो में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य निम्नलिखित के लिए खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त संदत्त या संदेय कुल रकम होगी —

(i) कैसिनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय ;

(ii) कैसिनो में किसी घटना में भाग लेना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया, जिसमें टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय करना अपेक्षित नहीं है :

परंतु कैसिनो द्वारा खिलाड़ी को, टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट की वापसी, जैसी स्थिति हो, के लिए वापस या प्रतिदाय की गई किसी रकम की कैसिनो में अनुयोज्य दावों की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—नियम 31ख और नियम 31ग के प्रयोजन के लिए किसी घटना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया सम्मिलित है, को जीतने के द्वारा प्लेयर द्वारा प्राप्त की गई किसी रकम को, जिसका प्रतिसंहरण किए बिना उक्त खिलाड़ी द्वारा किसी और घटना में प्रयोग किया जाता है, उक्त खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को संदत्त रकम या उसके पास जमा रकम नहीं माना जाएगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 46 के खंड (च) के परंतुक में, "परंतु" शब्दों के पश्चात्, "आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति को अंतर्वलित करने वाले मामलों में या ऐसे मामलों में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"64. आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का उपबंध करने वाले व्यक्तियों और भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो भारत से

बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग का उपबंध कर रहा है या भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को या गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का उपबंध कर रहा है, पश्चातवर्ती कलेंडर मास या उसके भाग के बीसवें दिन को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरणी फाइल करेगा।”

7. उक्त नियमों के नियम 87 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, “वाला व्यक्ति” शब्द के स्थान पर, “वाला व्यक्ति या धारा 14क में यथानिर्दिष्ट भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति,” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 में, --

(i) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

“भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्ति या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।”;

(ii) भाग क में सारणी में, क्रम सं. (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“(iik)	पूर्ति की किस्म	(क) आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति (ख) आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं (ग) पूर्वोक्त (क) और (ख) दोनों”
--------	-----------------	---

(iii) सारणी के भाग ख में, --

(क) क्रम सं. 2 और क्रम सं. 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

“2.	भारत में आनलाइन सेवा या आनलाइन मनी गेमिंग प्रारंभ करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
3.	वेबसाइट/प्लेटफार्म/आवेदक का नाम आदि, जैसा लागू हो, का यूनीफार्म रिसोर्स लोकेटर्स (यूआरएल)जिसके माध्यम से ऑनलाइन मनी गेमिंग या ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान की जाती हैं:	
	1.	
	2.	
	3. ”	

(ख) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7	<p>घोषणा</p> <p>मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</p> <p>मैं,घोषणा करता/करती हूँ कि मैं रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ। मैं कर योग्य राज्यक्षेत्र में स्थित गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता (ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के मामले में)से और/या कर योग्य राज्यक्षेत्र में स्थित प्राप्तिकर्ता से (ऑनलाइन मनी गेमिंग के मामलों में)दायी कर को भारित और संग्रह करूंगा और इसे भारत सरकार के पास जमा करूंगा।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर</p> <p>तारीख प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता</p> <p>पदनाम:</p>
----	--

(iv) अनुदेश में, मद 2 में, "धारा 14" शब्द और अंक के पश्चात्, "या धारा 14क, जैसी भी स्थिति हो, " शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-5क, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटीआर-5क

[नियम 64 देखें]

भारत के बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता (जैसा कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित है) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति का ब्यौरा और भारत से बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति का ब्यौरा

1. पूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन-
2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम-
- (ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो-
3. भारत में विवरणी फाइल करने वाले प्राधिकृत अभिकर्ता का नाम-
4. अवधि:.....माह.....वर्ष
- 4(क) एआरएन:
- 4(ख) एआरएन की तारीख:

5. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ

(रकम, रुपए में)

पूर्ति का स्थान(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5क. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों में संशोधन

(रकम, रुपए में)

माह	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाता है

(रकम रुपए में)

जीएसटीआईएन	कर योग्य मूल्य
1	2

5(ग) गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों, जिस पर दिया गया कर रिवर्स चार्ज के आधार पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, में संशोधन

(रकम, रुपए में)

माह	मूल जीएसटीआईएन	संशोधित जीएसटीआईएन	कर योग्य रकम
1	2	3	4

5(घ) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्तियाँ

(रकम, रुपए में)

पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5(ड.) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्तियों में संशोधन

(रकम, रुपए में)

माह	पूर्ति का स्थान(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6. ब्याज, या किसी अन्य रकम की गणना

(रकम, रुपए में)

क्रम. सं.	विवरण	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	शोध्य रकम(ब्याज/अन्य)	
			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5
1.	ब्याज			
2.	अन्य			

	कुल			
--	-----	--	--	--

7. कर, ब्याज और अन्य संदाय योग्य और संदत्त रकम

(रकम, रुपए में)

क्रम. सं.	विवरण	संदाय योग्य रकम		विकलन प्रविष्टि सं.	संदत्त रकम	
		एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर दायित्व (सारणी 5, 5क, 5घ और 5ड.)					
2.	ब्याज (सारणी 6 पर अधारित)					
3.	अन्य (सारणी 6 पर अधारित)					

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम/प्रास्थिति"

[फा.सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)

निदेशक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 व संख्यांक सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना सं. 38/2023-केन्द्रीय कर, तारीख 4 अगस्त, 2023 व संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 4 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।